न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 81 / 2019 (RCMS 2019/00193)

प्रार्थीगण

1. हनुमानसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. रामसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
3. गिरधारीसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. समदरसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत सा. सुरतपुरा के कायम मुकाम :–
   4 / 1– सरोज कंवर पत्नि समदरसिंह
   4 / 2– दशरतसिंह पुत्र समदरसिंह
   4 / 3– गिरीराजसिंह पुत्र समदरसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र भेरीसालसिह जाति राजपूत सा. नाथावतपुरा जिला सीकर
6. फतेहसिंह पुत्र भेरीसालसिंह राजपूत नि. नाथावतपुरा जिला सीकर के कायम मुकामः–
   6 / 1– हेम कंवर पत्नि स्व. फतेहसिंह
   6 / 2– गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. फतेहसिंह
   6 / 3– शक्तिसिंह पुत्र स्व. फतेहसिंह
7. गायत्रीदेवी पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
8. बंशीलाल पुत्र नाथूलाल जाति रावणा राजपूत कुचामनसिटी के कायम मुकाम :–
   8 / 1– किसना पत्नि बंशीलाल रावणा राजपूत कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कमलादेवी पत्नि किशनलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
2. कालूराम पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी के कायम मुकामः–
   2 / 1–राधादेवी पत्नि स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 2– रामूराम पुत्र स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 3– रेखादेवी पुत्री स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 4– संजय पुत्र स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 5– गणेश पुत्र स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 6– तेजू पुत्र स्व. कालूराम जाति कुम्हार
   2 / 7– ज्योति पुत्री स्व. कालूराम जाति कुम्हार
3. गंगादेवी पत्नि गोपाललाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
4. गुलाबचन्द पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी के कायम मुकामः–
   4 / 1– कमला पत्नि स्व. गुलाबचन्द जाति कुम्हार
   4 / 2– बबली पुत्री स्व. गुलाबचन्द जाति कुम्हार
   4 / 3– कानाराम पुत्र स्व. गुलाबचन्द जाति कुम्हार
   4 / 4– गोरू पुत्र स्व. गुलाबचन्द जाति कुम्हार
   4 / 5– देवाराम पुत्र स्व. गुलाबचन्द जाति कुम्हार
5. चान्दमल पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
6. पूजा कुमावत पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

7. बलाराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
8. मूलीदेवी पुत्री भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
9. शंकरलाल कुमावत पुत्र श्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
10. शिम्भूदेवी पत्नि किशनलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
11. सन्तोष पत्नि लालचन्द जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
12. सरिता कुमावत पुत्री किशनलाल जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी
13. दिलीप कुमार अग्रवाल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी
14. मोनिका गोयल पत्नि दिलीप कुमार अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी
15. शंकरलाल पुत्र किस्तुरमल अग्रवाली निवासी कुचामनसिटी
16. भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थित – श्री मो. हनीफ अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 से 8, 11, 13 से 15 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 14.07.2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर खसरा नम्बर 280 रकबा 0.97 हैक्टर का प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया है वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 87 रकबा 203 बीघा 16 स्विा स्थित रही थी जिसमें से कुछ भूमि राजा प्रतापसिंह की जागीर की भूमि थी जिसमें से कुछ भूमि उसके खुदकाश्त की थी एवं बाकी पर काश्तकारो की काश्त थी, प्रकरण मे खसरा नम्बर 308 एवं 280 का विवाद है, राजा प्रतापसिंह ने मूल खसरा नम्बर 87 के खुदकाश्त हिस्से के 16 बीघा 6 बिस्वा का हस्तानान्तरण जरिये पंजिकृत बेचान दिनॉक 10.01.1989 को प्रार्थीगण को कर दिया, तब से प्रार्थीगण इस पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज है, अप्रार्थी 1 से 12 के पूर्वज भैरूलाल एवं जीतमल पुत्र पेमाराम कुमावत कुचामन ने खसरा नम्बर 308 को लेकर राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर एक आवेदन पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारियेां को यह अंकत करते हुए दिया कि खसरा नम्बर 87 में प्रतापसिंह भूतपूर्व जारीगरदार का 16 बीघा 6 बिस्वा पर खातेदारी में चलती आ रही है परन्तु कब्जा काश्त कभी नही रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों ने खसरा नम्बर 308 की खातेदारी भैरूलाल पुत्र जोधारा मे 5 बीघा जीतमल पुत्र पेमाराम के 4 बी[illegible] आदेश दिये, यह आदेश बिना किसी अधिकार के दिया गया था इसलिए इस आदेश से प्रार्थीगण के अधिकार किसी भी रूप में प्रभावित नही होते है, [illegible] सिंह की सिलिंग सीमा में गलत रूप से मानते हुए जमाबंदी में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 280 एवं 308 पर विधिवत है। जीतमल पुत्र पेमाराम ने गलत राजस्व रेकार्ड का दुरूपयोग करते हुए 0.65 हैक्टर भूमि का रजिस्टर्ड बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अप्रार्थी सं. 14 मोनिका गोयल को कर दिया है, यह बेचान मात्र कागजी बेचान है जो बिना किसी अधिकार के किया गया है, इसी प्रकार भैरूलाल पुत्र जोधाराम के वारिसान ने भी गलत राजस्व रेकर्ड का दुरूपयोग कर आगे अप्रार्थी 13 दिलीप कुमार एवं अप्रार्थी 15 शंकरलाल को रजिस्टर्ड बेचान किये गये है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 280 रकबा 0.97 हैक्टर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग में बाधा नही डाले एवं न ही उन्हे बेदखल करे एवं न ही गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर इनका अन्यत्र हस्तानान्तरण करे एवं न ही इन पर भार बोझ बढ़ाये।

राजस्व प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 8, 11, 13, 14, 15, 16 की ओर से जवाब प्रस्तुत। अप्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 9 द्वारा अप्रार्थी सं. 12 का हिस्सा बेचान होना बताया जो मुन्नी देवी पत्नि शंकरलाल को बेचान किया गया है। अप्रार्थी 1, 9, 12 का राजस्व रेकार्ड में आज दिन नाम नही है तथा मुन्नीदेवी रिकार्डेड खातेदार है जिसका भी जवाब साथ ही प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 10 अनुपस्थित रही जिससे उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 के कायम मुकाम की ओर से पूव में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र को ही जवाब माने जाने का वकील अप्रार्थी ने कथन किया।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि जागीर एक्ट 1952 के प्रभाव में आने पर समस्त जागीर भूमिया राज्य सरकार में निहित हो गई, कुचामन के गत खसरा नम्बर 87 की सम्पूर्ण भूमि जागीर की भूमि थी इसमें से कोई भी हिस्सा खुदकाश्त की भूमि नही थी अतः बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रतापसिंह इसका खातेदार नही हो सकता, खसरा नम्बर 87 के भू–प्रबंध संक्रियाओं के पश्चात खसरा नम्बर 308 व 280 कायम किये गये है इसमें किसी प्रकार का विवाद नही है, खसरा नम्बर 308 अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि है, गत खसरा नम्बर 87 जागीर भूमि थी जिसे विक्रय करने का अधिकार प्रतापसिंह को नही था, सम्वत 2026–29 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 87 में अन्य खातेदारो के साथ 16 बीघा 6 बिस्वा मकबूजा खुद प्रविष्टि दर्ज है, जिसे सम्वत 2030–33 में बिना किसी आदेश के प्रतापसिंह की खातेदारी में दर्ज कर दिया, जबकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F-3(78)Rev/KHA/60 दिनॉक 21-04-60 एवं परिपत्र क्रमांक F-3(78)Rev/KHA/60 दिनॉक 21-04-1960 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि राजस्व अभिलेख में जो भूमियॉ खुद काबिज दर्ज है वे सभी राज्य सरकार में निहित हो गई है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा [illegible]नी पत्र जारी किया गया कि जो भूमियॉ मकबूजा ठिकाना दर्ज थी वे वा[illegible] म[illegible]काने की थी न कि निजि रूप से स्वयं जागीरदारो की, और व जागीरों के [illegible] राज्य में निहित हो गई है, अतः विक्रय द्वार अथवा अन्यथा इन भूमियों को स्थानान्तरित करने का कोई वैध अधिकार जागीरदारों को नही है तथा ऐसी भूमियों में उनके द्वारा किये गये समस्त विक्रय शून्य एवं निरर्थर है, ऐसी स्थिति में उक्त आलोच्य कथित बेचाननामा 10.01.89 प्रारम्भ से ही शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं निरर्थक है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा विधिक रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत खातेदारी प्रदान की गई है, खसरा नम्बर 308 की भूमि खुदकाश्त की भूमि नही है अपितु जागीर भूमि थी जिसे विक्रय करने का अधिकार राजा प्रतापसिंह को नही था, खसरा नम्बर 308 अप्रार्थीगण की खातेदार एवं कब्जा शुदा भूमि है एवं खसरा नम्बर 280 सीलिंग में अवाप्त की जाकर राजकीय दर्ज है, खातेदार के नाम दर्ज खातेदार भूमि का विधिवत जरिये पंजिबद्व विक्रय पत्र किया गया है, बेचान 10.1.89 से पूर्व भूमि "मकबूजा खुद" राजकीय भूमि थी जिसे विक्रय करने का अधिकार राजा प्रतापसिंह को नही था, रजिस्टर्ड बेचाननामा 10.01.89 शुरू से ही प्रभाव शून्य एवं निरर्थक है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में कतही नही है ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के जवाब अनुसार जागीर एक्ट के प्रभाव में आने पर समस्त जागीर भूमिया राज्य सरकार में निहित हो गई, खसरा नम्बर 87 की सम्पूर्ण भूमि खुदकाश्त भूमि नही थी अपितु जागीर भूमि थी गत खसरा नम्बर 87 के नये खसरा नम्बर 308, 280 बने है परन्तु विवाद किस विषय का है प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नही किया गया है, खसरा नम्बर 87 जागीरदार प्रतापसिंह की खुदकाश्त नही थी बल्कि जागीर भूमि थी जमाबंदी सम्वत 2026–29 में उक्त भूमि मकबूजा खुद दर्ज है जो राजस्थान जागीर अधिनियम 1952 की धारा 22 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 3(48)रेव/बी/60 दिनॉक 21.04.1960 एवं परिपत्र क्रमांक एफ3(78)रेव/रव/60 दिनॉक 16.09.1960 एवं आदेश क्रमांक/एफ–1जी (99)/रेव/ए/62 दिनॉक 01.01.1963 के अनुसार स्वतः राजकीय दर्ज हो चुकी है एवं श्री प्रतापसिंह द्वारा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है यह तथ्य भी अस्वीकार है कि कब्जा प्रार्थीगण का है, खसरा नम्बर 308 विभिन्न खातेदारो की भूमि दर्ज है एवं खसरा नम्बर 280 राजकीय (सीलिंग से सिवायचक) दर्ज है, बेचाननामा 10.01.1989 प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है राजप्रतापसिंह को इस भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरण करने के अधिकार नही है,प्रार्थीगण द्वारा वाद एवं प्रार्थना–पत्र मात्र प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है, अतःखारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस दौरान बताया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 87 मि. हाल खसरा नम्बर 280, 308 पर उनका निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजाप्रतापसिंह की ओर से [illegible] शाह साकिन लखनउ हाल मुकाम कुचामनसिटी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] बे[illegible]नामा 10.01.89 को तकमील किया गया है तथा जरिये बेचान से भूमि [illegible] है तथा उसी दिन से कब्जा काश्त उनका है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 280 राजकीय भूमि दर्ज चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 308 पर पूर्व सेटलमेंट से ही उनका कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा वर्तमान सेटलमेंट में 14.12.88

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के पास प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज करने का प्रस्तुत करने पर संबंधित भू–मापक से रिपोर्ट लेने पर अप्रार्थीगण के पूर्वज क निरन्तर कब्जा काश्त मानते हुये पेमाराम जोधाराम कुम्हार की काश्त मानी गई है तथा 8.9.89 को आदेश पारित कर भैरूलाल पुत्र जोधाराम जीतमल पुत्र पेमाराम कुम्हार कुचामनसिटी के नाम खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर भूमि नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 87 मिन रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा प्रतापसिंह खोले हरिसिंह राजा साहब कौम राजपूत सा. देह खातेदार अन्य खसरा में दर्ज है नामा. 439 के तहत खसरा नम्बर 292 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा जमाल ईसाक पि. खाजु धोबी मुसलमान खातेदार दर्ज है। नकल मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2046–2065 में खसरा नम्बर 267, 268, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 284, 308 कुल रकबा 24.66 हैक्टर में प्रतापसिंह खोले हरिसिंह राजा साहब राजपूत हि. 2.45 हैक्टर समसु पुत्र अलादीन 2.26 हैक्टर गफूरा पुत्र काली 5.42 हैक्टर भैरूराम गोविन्दराम शंकरलाल बाबुलाला जगदीश गोर्वधन बनवारीलाल पि.घासी नायक 2.26 हैक्टर श्रीराम पुत्र रामदेव जाति कुमावत 1.28 हैक्टर नारायण आईदान पि. छिगना नायक 2.41 हैक्टर माती पुत्र नवला 1.81 हैक्टर मनसुख पुत्र बींजाराम नायक 2.26 हैक्टर मु.ग्यारसी बेवा गणेशराम हडमानराम अमराराम शिवकरण पि. गणेश हि. 2.26 हैक्टर कुनणाराम नारायणराम पि. प्रतापराम जाति जाट सा. जसराना 2.26 हैक्टर खातेदार दर्ज है, नोट नामा. सं. 299 के प्रतापसिंह राजा साहब राजपूत के हि. 2.45 हैक्टर में से रकबा 1.48 हैक्टर पर भैरूलाल पुत्र जोधाराम हि. 0.83 हैक्टर जीतमल पुत्र पेमाराम हि. 0.65 हैक्टर जाति कुम्हार सा. देह खातेदार अंकित है। वर्तमान जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 1021 नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर सम्पूर्ण दर्ज है। खसरा नम्बर 280 राजकीय भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम कुचामनसिटी के खाता सं. 165 खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर में कमलादेवी गंगादेवी गुलाबचन्द चान्दमल दिलिप कुमार अग्रवाल पूजा कुमावत बलराम मूलीदेवी मोनिका गोयल शंकरलाल अग्रवाल शंकरलाल कुमावत शिम्भूदेवी संतोष सरिता की खातेदारी दर्ज है नगरपालिका कुचामनसिटी के आदेश दिनॉक 22.12.2020 अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के के तहत पुनग्रहित की जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 90 के की उप धारा (8) के तहत नगरपालिका कुचामनसिटी के [illegible] के आदेश पारित किये गये, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार कुचामन[illegible] द्वा[illegible] भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज की गई। वर्तमान में उपरोक्त भू[illegible] प्रयोजन हो चुकी है तथा उक्त भूमि का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय के अधीन नही रहा है।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनॉक 23.12.19 को पंजिबद्व होकर अप्रार्थीगण की सुनवाई स्तर रखा गया, इसी दौरान प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नागौर के यहाँ 23.12.19 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत की गई जो मुकदमा सं. 4/2019 हनुमानसिंह बनाम कमलादेवी दर्ज होकर दिनॉक 08.01.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्देश दिये गये कि प्रकरण सं. 81/2019 में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस का जवाब आने तक पक्षकारान मौजा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर व खसरा नम्बर 280 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये। संबंधित अप्रार्थीगण/पक्षकारान द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय की आदेशिका दिनॉक 26.02.2020 अनुसार जवाब प्रस्तुत होने से माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर का आदेश 08.01.2020 प्रभावहीन हो गया। इसी प्रकरण को लेकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहाँ प्रकरण सं. 63/2020 हनुमानसिंह बनाम कमलादेवी में दिनॉक 17.03.2020 को आदेश पारित हुआ जिसके अनुसार इस न्यायालय का आदेश 26.02.2020 अपास्त कर मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थित जारी की गई तथा हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर एक माह में निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये। संबंधित पक्षकारा उक्त आदेश से व्यथित होकर इसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय में निगरानी संख्या 3981/2020 शंकरलाल अग्रवाल वगैरह बनाम हनुमानसिंह वगैरह दर्ज होकर सुनवाई पश्चात दिनॉक 11.12.2020 को आदेश पारित कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के आदेश दिनॉक 17.03.2020 को अपास्त कर इस न्यायालय का आदेश दिनॉक 26.02.2020 बहाल रखा गया तथा आदेश दिये गये कि प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण नियमानुसार उभय पक्ष को सुनकर एक माह में आवश्यक रूप से करे। उक्त निगरानी एवं आदेशो की माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में चुनौती दी गई। जहाँ पर S.B. Civil Writ Petition No. 1885/2021 हनुमानसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार शंकरलाल वगैरह दर्ज होकर बाद सुनवाई आदेश दिनॉक 18.02.2021 अनुसार 15 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिये।

उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य सबूतो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जरिये नामा. सं. 299 के प्रतापसिंह राजा साहब राजपूत के हि. 2.45 हैक्टर में से रकबा 1.48 हैक्टर पर भैरूलाल पुत्र जोधाराम हि. 0.83 हैक्टर जीतमल पुत्र पेमाराम हि. 0.65 हैक्टर जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी के खातेदारी मे दर्ज होकर उनके पश्चात उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात वारिसान अपने अपने हिस्से का बेचान अन्य व्यक्तियो को किया गया एवं कुछ हिस्सा उनके वारिसान के नाम दर्ज चला आया। मौके पर उक्त भूमि ... प्रयोजन काम में आ रही है जिसकी पुष्टि उपरोक्त खसरा नम्बर 308 रकबा 1.48 हैक्टर नगरपालिका के नाम दर्ज होने से होती है। साथ ही उक्त भूमि राज. सरकार के खाते में सेटलमेंट से पूर्व ही दर्ज चली आ रही है जिससे साबित है कि उपरोक्त भूमि पर राजा साहब का कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नही रहा है जिसकी पुष्टि भू–मापक की रिपोर्ट से होती है जिसके आधार पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भैरूलाल पुत्र जोधाराम हि. 0.83 हैक्टर जीतमल पुत्र पेमाराम हि. 0.65 हैक्टर जाति कुम्हार कुचामनसिटी के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये गये। वादग्रस्त भूमि खुदकाश्त की नही होकर जागीर भूमि रही है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू किसी भी तरह से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण साबित नही होने से खारिज काबिल है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 14/7/2023 को सरे इजलास सुनाय गया।

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:20:20 IST
Reason: SelfAttested